

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

॥ अधिसूचना ॥

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के राजपत्र सं-G.S.R 320 (E) दिनांक-18.03.2016 के द्वारा अधिसूचित संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के कंडिका-16 में अंकित प्रावधानों के अधीन प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति (SLAC) का गठन किया जाता है, जो निम्नवत् है:-

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
1	प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	अध्यक्ष
2	राज्य पर्यावरण विभाग के अपर सचिव	सदस्य
3	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव	सदस्य
4	नगर आयुक्त, पटना नगर निगम	सदस्य
5	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर/अथवा नगर पंचायत बोधगया	सदस्य
6	प्रधान सचिव, वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग/GST/अथवा अधिकृत प्रतिनिधि	सदस्य
7	बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष	सदस्य
8	प्रतिनिधि, सेंटर ऑफ साईस एवं इन्वायरमेंट दिल्ली	सदस्य
9	प्रतिनिधि प्लास्टिक संघ, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन	सदस्य
10	प्रतिनिधि आगा खान फाउण्डेशन, बिहार	सदस्य
11	प्रतिनिधि, नेशनल इंस्टीच्यूट ऑट टेक्नोलॉजी पटना/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना।	सदस्य
12	निदेशक, नगरपालिका प्रशासन, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार।	संयोजक

- गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के क्रियान्वयन का आवश्यकतानुसार समीक्षा करेगी।
- गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के क्रियान्वयन एवं प्लास्टिक प्रबंधन हेतु राज्य सरकार की कार्य नीति तैयार कराने के लिए राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा प्रेषित करेगी।
- उक्त गठित समिति की बैठक छह माह में कम-से-कम एक बार अवश्य होगी। यदि समिति आवश्यकता समझती है तो विशेषज्ञों को आहुत बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकेगी।
- राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की समीक्षा प्रतिवेदन/कार्यवाही की प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना को अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जायेगा।
- प्रश्नगत मामले पर पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभोजन,  
3/7/2018